NIFTEM

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता एवं प्रबन्धन संस्थान, कुंडली

पत्रांक: निफ्टेम/जीइए/एचसी/2022/14/...54 दिनांक : 27.07.2022

कार्यालय आदेश

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा हिन्दी के प्रयोग के संबंध में इस संस्थान के दिनांक 06 जुलाई, 2022 को किए गए निरीक्षण की समीक्षा रिपोर्ट में इंगित किया गया है कि संस्थान में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में किए जा रहे दावों और भौतिक स्थिति में काफी अंतर है, जिसे आगामी अक्तूबर माह में प्रस्तावित संसदीय राजभाषा के निरीक्षण से पूर्व अविलंब दूर किया जाना नितान्त आवश्यक है। अत: सभी विभागों/अनुभागों/प्रभागों को निदेश दिया जाता है कि वे तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित कदम उठाएं :-

1. सभी विभागों/अनुभागों/प्रभागों में उपलब्ध सभी फाईलों और रजिस्टरों में बाहरी कवर पृष्ठ पर द्विभाषी अथवा हिन्दी में नाम/शीर्षक लिखे जाएं। विशेष रूप से बाहर प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कार्यालय में रजिस्टरों में बाहर के कवर पृष्ठ पर द्विभाषी रूप में विषय का शीर्षक/नाम लिखें। क्रय अनुभाग बाहरी प्रवेश द्वार पर एक या दो दीवार पर चिपकाने वाले पोस्टर बनवाएं, जिस पर लिखा हो कि **'हम हिन्दी में प्रविष्टि का स्वागत करते हैं'**। ऐसा ही एक पोस्टर स्वागत कार्यालय में लगाया जाए।

2. कार्मिक अनुभाग अधिकारियों/कार्मिकों की सेवा-पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां करने के लिए द्विभाषी मोहरें तैयार की जाए। नियमित रूप से की जाने वाली प्रविष्टियां जैसे वेतनवृद्धि, अवकाश संबंधी प्रविष्टि जो छोटी छोटी होती हैं, उनकीं द्विभाषी मोहरें बनवाई जाएं, ताकि सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां अधिक से अधिक हिन्दी में हो सकें।

3. सभी विभाग/अनुभाग/प्रभाग फाईलों में लिखी जाने वाली टिप्पणियों को हिन्दी में लिखने का प्रयास करें। यदि किसी शब्द या वाक्य का हिन्दी में पता न हो तो उसे अंग्रेजी में लिख सकते हैं। बाहर भेजे जाने वाले पत्रों में यदि शीर्षक, प्रेषक और प्रेषिती हिन्दी में लिखा जाता है एवं हस्ताक्षर हिन्दी में किए जाते हैं तो उस पत्र को हिन्दी में भेजा गया पत्र माना जाए और उसकी गिनती हिन्दी पत्रों में की जाए।

4. इस संस्थान के निम्नलिखित अनुभाग यथा क्रय अनुभाग, उद्यान प्रभाग, राजभाषा प्रभाग के अलावा सुरक्षा प्रभाग, परीक्षा प्रभाग, कार्मिक प्रभाग, प्रवेश प्रकोष्ठ, कृषि एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग, कौशल विकास प्रभाग, परामर्श प्रभाग, आर.टी.आई अनुभाग, अपना कार्यालय संबंधी कार्य शत प्रतिशत हिन्दी में ही करने के लिए इस आदेश द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं।

5. राजभाषा की धारा 3(3) के अंतर्गत 14 दस्तावेज अर्थात **सर्कुलर, अधिसूचना, सूचना, प्रेस विज्ञप्ति, टेन्डर नोटिस, टेन्डर फॉर्म, संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन, संसद के समक्ष रखे जाने वाले कागजात, करार अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) एवं परमिट** अनिवार्य रूप से द्विभाषी भेजे जाएं।

6. कुलसचिव के निजी सचिव एवं माननीय कुलपति के निजी सचिव इस संबंध में सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रभाग द्वारा भेजे जाने वाले उपर्युक्त दस्तावेंजों में से कोई भी दस्तावेज अनुमोदन के लिए केवल अंग्रेजी में न भेजा गया हो और उसके साथ आवश्यक रूप से हिन्दी पाठ साथ लगा हो।

7. सभी विभाग/अनुभाग/प्रभाग कृपया उपर्युक्त दस्तावेजों में से भेजे जाने वाले दस्तावेज चिन्हित करें एवं उनका अनुवाद करने के लिए राजभाषा प्रभाग को भेजें, ताकि उनका हिन्दी पाठ भी वेबसाइट/इन्ट्रानेट पर अपलोड किया जा सके।

8. अनुवाद संबंधी किसी भी प्रकार की सहायता के लिए राजभाषा प्रभाग से संपर्क करें।

जोगेन्द्र
कुलसचिव

प्रति :

1. निजी सचिव, माननीय कुलपति अध्यक्ष महोदय।
2. कुलसचिव।
3. सभी संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/प्रभाग/अनुभाग प्रभारी।
4. श्री एस.के. वर्मा, निदेशक (राजभाषा), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली।
5. श्री राजीव माथुर, सहायक निदेशक (राजभाषा), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली।
6. उपनियंत्रक (लेखा)/लेखाधिकारी।
7. सहायक कुलसचिव (प्रशासन/कार्मिक/आई.टी.)/लेखाधिकारी/एजीएम/मैनेजर।
8. सहायक कुलसचिव (आई.टी.) से उक्त कार्यालय ज्ञाप वेबसाईट/इंटरानेट पर अपलोड करने हेतु।
9. कार्यालय प्रति।